फर्द अहकाम

कजोडमल बनाम तहसीलदार सांगानेर व वगै0

प्रार्थना पत्र संख्याः 257/2024

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
29.08.2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी को प्रार्थना को सुना गया। दौराने बहस प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी की आराजीयात खाता सं० 83 खसरा नं0 689/220 रकबा 0.1360 हैक्टयर, खसरा नं० 691/221 रकबा 0.1140 हैक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.25 हैक्टयर वाके ग्राम टीलावाला पटवार हल्का जगतपुरा भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लुनियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर (राज०) की पत्थरगढी मय पुलिस इमदाद किये जाने के आदेश फरमावे। बहस प्रार्थी अधिवक्ता एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 सपठित धारा 111 भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया गया। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि यदि अन्य किसी दिगर न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो प्रार्थी की ग्राम टीलावाला पटवार हल्का जगतपुरा भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लुनियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर (राज०) में स्थित आराजीयात खाता सं० 83 खसरा नं0 689/220 रकबा 0.1360 हैक्टयर, खसरा नं० 691/221 रकबा 0.1140 हैक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.25 की पत्थरगढी तहसीलदार सांगानेर की मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 18.06.2020 के अनुसार पारदर्शिता अपनाते हुये तथा समस्त उभयपक्षकारानों की उपस्थिति में कायम करें। आवश्यकता होने पर पुलिस इमदाद की सहायता ली जावे। निर्णय आज दिनांक 29.08.2024 खुले न्यायालय में सुनाया गया। (हिम्मत सिंह) आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी जयपुर–द्वितीय ([illegible] जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 16:23:01 IST
Reason: SelfAttested